

62



105

समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर कैंप,

डा. विद्यामता
श्री अशोक नागा
जिला भोजपूर-एटा
प्रस्तुत

निगरानी - 6185/2018 | म.प्र. होशंगाबाद भूरा
पुनरीक्षण याचिका क्रमांक..... /2018

मेसर्स राजलक्ष्मी देव बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता-26-1, सुपर डीलक्स, ओल्ड मीनाल
रेसीडेंसी, जे.के.रोड, भोपाल
द्वारा अधिकृत/संचालक

निगरानीकर्ता/आवेदक

// विरुद्ध //

1. न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद
2. अपर कलेक्टर जिला होशंगाबाद
3. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, म.प्र.शासन, राजस्व सोहागपुर जिला होशंगाबाद

उत्तरार्थीगण/अनावेदकगण

आपुनरीक्षण
25-10-18
जिला B
25-10



पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50(1)(2) म.प्र.भू.राजस्व संहिता अनुसार



यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक -217/अपील/2017-18 में आदेश दिनांक 20.08.2018 को पारित आदेश से दुखी एवं असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही है। जिसके निम्नानुसार तथ्य है:-

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (मै.राजलक्ष्मीदेव बिल्डर्स इंडिया प्रा० लि०/शासन)

प्रकरण क्रमांक R-6185/2018 विशेषाज्ञापन 15.2.20

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> अध्यक्ष</p>	